...लय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज अंतर वगैरा .... बनाम .... रतन वगैरा बनाम मु. सं. 58/19	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 28—08—2019 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 5, 8 व 10 की ओर से जबाब प्रस्तुत हुआ नकल वकील प्रार्थी को दी गयी। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से जबाब व वकालतनामा प्रस्तुत करे। पत्रावली बइन्तजार तामील दिनांक 24—09—2019 को पेश हो। तब तक टी.आई.की अवधि बढाई जाती है। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा) दिनांक 24—09—2019 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 7, 9 व 11 की तामील हो चुकी है किन्तु उपस्थित नहीं है। अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम गहनौली तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 291/0.09 व 1344/1.30 कुल किता 2 रकबा 1.39 हैक्टयर सायलान की पैत्रिक व विरासत में मिली आराजी है जिससे गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। सायलान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 291 की जमीन को गैरसायलान अपनी आराजी खसरा नम्बर 292 में मिलाते रहते है। पाटौल व पुख्ता निर्माण कर कृषि से अकृषि में बदलकर अतिक्रमण कर लिया है। शेष भूमि पर भी कब्जा करने पर आमादा है। इसलिये गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।	

की आराजी है जिसमें पूर्वजों के समय से ही आबादी हो रही है। सायलान का कोई प्राईमाफेसी केस नही है और ना ही अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 291 स्थित ग्राम गहनौली तहसील महवा सायलान की खातेदारी की आराजी है इस तथ्य को गैरसायलान ने अपने जबाब में भी स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्ठया मामला सायलान के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 291 में सायलान के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करते है तो सायलान को ही अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में ही प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाकर गैरसायलान [illegible] किया जाता है [illegible] खसरा नम्बर [illegible]